बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–10/2024– /पटना, दिनांक–

डा० रश्मि प्रसाद, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग–सह–अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को अपने निजी खर्च पर दिनांक–**02.10.2025 से 11.10.2025** तक की अवधि में विदेश (Cape Town, South Africa) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० प्रसाद, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगी।
3. डा० प्रसाद, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगी।
4. डा० प्रसाद, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगी।
5. डा० प्रसाद, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगी।
6. डा० प्रसाद, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/एल 1–10/2024– 1001 (17) **/पटना, दिनांक–** 04.09.25

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० रश्मि प्रसाद, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग–सह–अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari
04/09/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir /Passport